


झारखण्ड सरकार
परिवहन विभाग
(लीड एजेन्सी, सड़क सुरक्षा)

सूचना

सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से राज्य के यथानिर्धारित व्यवसायिक वाहनों में गति नियंत्रक उपकरण (SLD) के अधिष्ठापन व क्रियाशीलता की सुनिश्चितता के निमित्त विभागीय अधिसूचना संख्या-341, दिनांक 18.02.2016 तथा Superme Court Committee on Road Safety से प्राप्त निदेशों के अनुपालनार्थ दिनांक 19.07.2021 को विभागीय सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में SLD के Original Equipment Manufacturer को झारखण्ड राज्य में कार्य करने हेतु निबंधित करने के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाता है।


2. उक्त के संबंध में विस्तृत प्रावधान/दिशानिर्देशों का अवलोकन विभागीय वेबसाइट <http://jhtransport.govt.in> पर किया जा सकता है।


संयुक्त परिवहन आयुक्त
(सड़क सुरक्षा),
लीड एजेन्सी, सड़क सुरक्षा
परिवहन विभाग, झारखण्ड।
दिनांक- 26/07/2022

ज्ञापांक:- SLD-24/2022-संसु०.....318


प्रतिलिपि :- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि उपर्युक्त सूचना सामग्री देश के सभी प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करने की कृपा की जाये।


संयुक्त परिवहन आयुक्त
(सड़क सुरक्षा)
दिनांक- 26/07/2022

ज्ञापांक:- SLD-24/2022-संसु०.....318


प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


संयुक्त परिवहन आयुक्त
(सड़क सुरक्षा)
दिनांक- 26/07/2022

ज्ञापांक:- SLD-24/2022-संसु०.....318

प्रतिलिपि:- PMU, परिवहन विभाग, झारखण्ड/SRSMU, लीड एजेन्सी, सड़क सुरक्षा, परिवहन विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि राज्य के व्यवसायिक वाहनों में स्पीड लिमिट डिवाइस (SLD) के अधिष्ठापन की सुनिश्चितता के निमित्त इसके Original Equipment Manufacturer को झारखण्ड राज्य में कार्य करने के निमित्त निबंधित करने से संबंधित विस्तृत प्रावधान/दिशानिर्देशों को विभागीय वेबसाइट <http://jhtransport.govt.in> पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
अनुलग्नक:- यथोक्त।


संयुक्त परिवहन आयुक्त
(सड़क सुरक्षा)